रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122024-259551 CG-DL-E-20122024-259551

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1003] No. 1003] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2024/ अग्रहायण 28, 1946

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2024/ AGRAHAYANA 28, 1946

क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2024

फा.सं. बी/आरआर/2024-रिम्स(6)— क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल, मणिपुर की विधिसंहिता के नियम 3(ii) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुपालन में तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र सं. U-12015/57/2022-NE-part (13) दिनांक 07-02-2024, से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल सोसाइटी की कार्य परिषद के अध्यक्ष एतदद्वारा क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल के निमित, भौतिक चिकित्सक की नियक्ति संबंधित अधोलिखित नियमों-प्रविधियों को निर्मित करते हैं।

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ –
- (i) इन नियमों को भौतिक चिकित्सक (समूह 'बी' पद) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल नियुक्ति नियम 2024 कहा जाएगा।
- (ii) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत लागू माने जाएंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर प्रविधि अथवा नियुक्ति इत्यादि उपर्युक्त पदों के संदर्भ में वर्गीकरण, पे- मैट्रिक्स में वेतन स्तर, नियुक्ति की प्रविधि तथा इससे संबंधित अन्य संलग्न अनुसूचित (2) से (4) कॉलम में वर्णित के अनुसार होंगे।
- 3. नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता आदि- उपर्युक्त पद से संबंधित नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

8215 GI/2024 (1)

4. अनर्हता :कोई भी व्यक्ति -

- (क) जिसने एक जीवित पति/ पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो अथवा
- (ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो वह उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होगा।

बशर्ते की केंद्रीय सरकार, इस बात से आश्वस्त हो कि उपर्युक्त विवाह उस व्यक्ति तथा दूसरी पार्टी पर लागू होने वाले वैयक्तिक नियम के अनुसार अनुमन्य हो तथा ऐसा करने के पीछे अन्य दूसरे भी आधार हो जिसके आधार पर उस व्यक्ति को उपर्युक्त नियम से मुक्त किया जा सके।

- 5. छ<u>ूट की शक्ति</u> : जहाँ केंद्रीय सरकार, इस राय में हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा त्वरित है वे लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए उपर्युक्त नियम में निहित किन्हीं प्राविधानों को किसी वर्ग अथवा कोटि या पद के संदर्भ में शिथिल कर सकते हैं।
- 6. <u>संरक्षात्मक उपबंध</u> : इन नियमों के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नही होगा जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा भूतपूर्व सेवारत तथा विशिष्ट कोटि के व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयुसीमा में छूट तथा अन्य छूट प्रदान किए गए होंगे।

अनुसूची

	30 00
	भौतिक चिकित्सक
पदों की संख्या	06* (2024)
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
वर्गीकरण	समूह 'बी'
वेतनमान	पे-मैट्रिक्स स्तर-06
	लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों
	अथवा आदेशों के अनुसार शिथिलनीय)
सीधी नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा	अनिवार्य:
अन्य योग्यताएं	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक चिकित्सा में
	डिग्री।
	2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक चिकित्सा में
	डिप्लोमा के साथ चिकित्सालय में 3 वर्ष का अनुभव।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक	नहीं
योग्यता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी	
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी नियुक्ति के लिए दो वर्ष
नियुक्ति की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति/	सीधी नियुक्ति द्वारा
प्रतिनियुक्ति में स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न	
प्रविधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	
प्रतिशतता।	
प्रोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति ग्रेड के मामले में	लागू नहीं
किससे प्रोन्नति स्थानांतरण माना जाए	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/ चयन समिति गठित	1. निदेशक, रिम्स, इंफाल- अध्यक्ष
है तो उसका संगठन	2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
	में रिम्स संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले निदेशक/
	उप सचिव - सदस्य
	3. कार्य परिषद का एक सदस्य, रिम्स सोसाइटी, इंफाल
	अथवा लाभार्थी राज्य का एक नामिति जो उप सचिव/
	संयुक्त निदेशक के पद से नीचे न हो। (चक्रानुक्रम से) -
	सदस्य
	वेतनमान चयन पद अथवा गैर चयन पद सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा सीधी नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो नियुक्ति की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति में स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न प्रविधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। प्रोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति ग्रेड के मामले में किससे प्रोन्नति स्थानांतरण माना जाए यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/ चयन समिति गठित

		4. चिकित्सा अधीक्षक, रिम्स चिकित्सालय, इंफाल - सदस्य
		5. विषय से संबंधित कोई एक विशेषज्ञ - सदस्य
		6. उप निदेशक (प्रशासन), रिम्स, इंफाल - सदस्य सचिव
13	नियुक्ति निर्मित में किन परिस्थितियों पर संघ लोक	लागू नहीं
	सेवा आयोग से परामर्श।	

अध्यक्ष के आदेश तथा उनके नाम पर, प्रो. गुरुअरिबम सुनील कुमार शर्मा, निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./772/2024-25]

REGIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, IMPHAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2024

F.No. B/RR/2024-RIMS(6).—In exercise of the powers conferred under Rule 3(ii) of the Bye-Laws of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Manipur and in pursuance of the approval of the Ministry of Health & Family Welfare conveyed vide letter No. U-12015/57/2022-NE-Part (13) dated 07-02-2024, the Chairman, Executive Council, Society of Regional Institute of Medical Sciences, Imphal hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Physiotherapist in Regional Institute of Medical Sciences, Imphal.

1. Short title and commencement.-

- (i) These rules may be called the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Physiotherapist (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2024.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix- The number of the said post, its classification and level in pay matrix, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age Limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.- No Person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	Name of post	Physiotherapist
2	Number of post	6* (2024)
		*Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Group 'B'
4	Level in the Pay Matrix	Level – 06 of Pay Matrix
5	Whether Selection post or non-selection	Not applicable
	post	

6	Age limit for direct recruits	Not exceeding 30 years (Relaxable in accordance with the	
		instructions or orders issued by the Central Government)	
7	Educational and other qualifications	Essential:	
	required for direct recruits	1. Degree in Physiotherapy from a recognized University.	
		OR	
		2. Diploma in Physiotherapy from a recognized University with 3	
		years experience in a Hospital.	
8	Whether age and educational	No	
	qualifications prescribed for direct		
	recruits will apply in case of promotees		
9	Period of probation, if any	Two years for direct recruit	
10	Method of recruitment whether by direct	By Direct Recruitment	
	recruitment or by promotion or by		
	deputation/ absorption and percentage of		
	vacancies to be filled by various methods		
11	In case of promotion by recruitment by	Not applicable	
	promotion/deputation/ absorption to be		
	made		
12	If a Departmental Promotion Committee/	1. Director, RIMS, Imphal – Chairman	
	Selection Committee exists what is its	2. Director/Deputy Secretary looking after the affairs of RIMS,	
	composition	Imphal in the MoHFW, Govt of India – Member	
		3. One member of the Executive Council, Society of RIMS,	
		Imphal or a nominee of the beneficiary states not below the rank	
		of Deputy Secretary/ Joint Director (by rotation) – Member	
		4. Medical Superintendent, RIMS Hospital, Imphal – Member	
		5. One expert in the subject concerned-Member	
		6. Deputy Director (Admn), RIMS, Imphal – Member Secretary	
13	Circumstances in which Union Public	Not applicable	
	Service Commission to be consulted in		
	making recruitment		

By Orders and in Name of Chairman,
Prof. GURUARIBAM SUNIL KUMAR SHARMA, Director
[ADVT.-III/4/Exty./772/2024-25]